



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

पत्रांक: 611227/0.6-77/0.A.NO-113/2021

दिनांक: 27/02/2021

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:- Compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Principal Bench Order dated 14.10.2020 in the matter of O.A. No. 113/2020 Ramesh Chandra Verma & others V/s State of U.P.- Regarding.

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal; New Delhi Principal Bench Order dated 14.10.2020, on the subject mentioned above. Relevant part of the order dated 14.10.2020 passed by Hon'ble NGT is as below -

" 1. Grievance in this application is against developing of a 'dwarf wall'/'Overburden dump' (stack of mined coal, mixed with fly ash) by Northern Coal Field (NCF), Kharia Project at Shakti Nagar, Sonbhadra, U.P. near railway residential area. On account of such activity, dust is generated, affecting the air quality and the health of the inhabitants. The activity falls in 'Red' category, having serious environmental impact.

2. In view of the above, let the UPPCB and the District Magistrate, Sonbhadra look into the grievance and take such further action as may be found necessary. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance....."

In this context it is to inform that the overburden site of M/s NCL was inspected by the joint team of district administration and U. P. Pollution Control Board on 23.01.2021 (Annex-I). At the time of inspection some shortcomings were observed. Notice have been issued to M/s NCL Khadiya Sonbhadra by U.P. Pollution Control Board for complying on five point direction, vide letter dated 25.02.2021(Annex-II).

The above compliance report is submitted for your kind consideration please.

Encls. As Above.


(Radhey Shyam)
Regional Officer

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 113/2020 रमेश चन्द्र वर्मा एण्ड अदर्स बनाम् उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक-14.10.2020 के अनुपालन में मेसर्स नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड, खड़िया परियोजना, खड़िया, जनपद-सोनभद्र द्वारा रेलवे पुर्नवास बस्ती के समीप वार्फ वाल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त जन-शिकायत के परिप्रेक्ष्य में समिति की स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या :-

मेसर्स नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड, खड़िया परियोजना, खड़िया, जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध रेलवे पुर्नवास बस्ती के समीप वार्फ वाल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त जन-शिकायत के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 113/2020 रमेश चन्द्र वर्मा एण्ड अदर्स बनाम् उ0प्र0 सरकार में आदेश दिनांक-14.10.2020 पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

"..... In View of the above, let the UPPCB and District Magistrate, Sonbhadra look into the grievance and take such further action as may be found necessary. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The action taken report may be filed within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."



उक्त आदेश के अनुपालन हेतु स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति द्वारा दिनांक 23.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रोहित कुमार इन्चार्जमेन्ट ऑफिसर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उद्योग मेसर्स नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड, खड़िया परियोजना, खड़िया, जनपद-सोनभद्र द्वारा ओपेनकास्ट पद्धति से उ0प्र0 एवं म0प्र0 में फैले खनन क्षेत्र में कोल माईनिंग का कार्य किया जाता है। उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता 14 मिलियन टन/वर्ष की है। उद्योग को उ0प्र0 राज्य की सीमा में कुल 11.0 मिलियन टन/वर्ष कोयला उत्पादन (1332 हेक्टेयर भू-क्षेत्रफल में) हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-03.01.2020 द्वारा सशर्त सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक-01.01.2020 से दिनांक-31.12.2021 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया है, छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा महा प्रबन्धक, एन0सी0एल0 खड़िया के स्तर से महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0 सिंगरौली को प्रेषित पत्र संख्या KHD/GM/M/ENV./20-21/2517, दिनांक 14.05.2020 की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित किया गया है कि उद्योग को कोयले के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत भाग तक सड़क मार्ग से परिवहन करने हेतु सहमति प्राप्त है तथा खड़िया परियोजना द्वारा वर्तमान लीज क्षेत्र के भीतर लगभग 4.0 मिलियन टन/वर्ष क्षमता की लगभग 13.9 करोड़ लागत की रेल साईडिंग की निर्माण प्रस्तावित है। उक्त के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा को अपने पत्र दिनांक 03.10.2020 के माध्यम से मा0 अध्यक्ष, ओवर साईट कमेटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया जा चुका है। उद्योग द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों पत्रों दिनांक 14.08.2020 एवं 03.10.2020 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।





क्रमशः 2/-पर....

3. निरीक्षण के समय पाया गया कि पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी तक फैले हुए रेलवे ट्रैक के उत्तर दिशा में वार्फ वॉल (रेलवे साईडिंग) का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। रेलवे ट्रैक के समीप निर्माणाधीन वार्फ वॉल स्थल का 24.120060 अक्षांश एवं 82.7254049 देशान्तर है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।



वार्फ वॉल (रेलवे साईडिंग) का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोयले का परिवहन कुल उत्पादन के लगभग 90 प्रतिशत क्षमता तक रेल मार्ग से किया जायेगा तथा उक्त रेल मार्ग का संचालित होना दिसम्बर, 2021 तक सम्भावित है, ऐसा उद्योग प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया है।

4. निरीक्षण के समय पाया गया कि पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी तक फैले हुए रेलवे ट्रैक के दक्षिण दिशा में रेलवे ट्रैक के सामानान्तर लगभग 70 मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत-खड़िया के अन्तर्गत आच्छादित नाऊ टोला नामक बस्ती के लगभग 110 घर (कच्चे एवं पक्के मिलाकर) व आबादी लगभग 200 स्थित हैं। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।





5. निरीक्षण के समय पाया गया कि पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी तक फैले हुए रेलवे ट्रैक के उत्तर दिशा में रेलवे ट्रैक के सामानान्तर लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़िया परियोजना द्वारा माईनिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ओवर बर्डेन (ओ0बी0) को भू-तल से लगभग 50 मीटर की ऊँचाई तक डम्प किया गया है तथा डस्ट नियंत्रण हेतु डम्प ओ0बी0 के कुछ भाग पर वृक्षारोपण पाया गया।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्रमशः 3/-पर....



6. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीओएमपीडीआईएल) जयन्त, मध्य प्रदेश के माध्यम से खड़िया परियोजना स्थित सब स्टेशन (ओबी) के आस-पास दिनांक-24.09.2020 एवं 25.09.2020 को परिवेशीय वायु के अनुश्रवण का कार्य कराया गया तथा अनुश्रवण आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसकी छायाप्रति आख्या के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त परिवेशीय अनुश्रवण आख्यानुसार सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) मात्रा 75 तथा दिनांक 16.07.2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि हेतु त्रैमासिक औसत मात्रा 117 पायी गयी, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुरूप है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में खड़िया परियोजना हेतु पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी तक फैले हुए रेलवे ट्रैक के उत्तर दिशा में रेलवे ट्रैक के सामानान्तर भू-तल से लगभग 50 मीटर की ऊँचाई तक डम्प ओबी (ओवर बर्डन) से रेलवे ट्रैक के सामानान्तर दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत-खड़िया के अन्तर्गत आच्छादित नाऊ टोला नामक बस्ती के स्थित लगभग 110 घर (कच्चे एवं पक्के मिलाकर) व आबादी लगभग 200 की दूरी लगभग 170 मीटर है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में डम्प ओवर बर्डन (ओबी) के स्लाईडिंग से जन-सामान्य के प्रभावित होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है तथा वार्फ वॉल के निर्माण के फलस्वरूप वार्फ वाल के किनारे बनाये जाने वाली ड्रेन के माध्यम से वर्षा के कारण डम्प ओबी से उत्पन्न स्टॉर्म वाटर को उद्योग द्वारा एकत्रित कर लिया जायेगा, जिससे प्रथम दृष्टया जन-सामान्य के प्रभावित होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वार्फ वाल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त जन-शिकायत पोषणीय प्रतीत नहीं होती है।

उद्योग मेसर्स नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड, खड़िया परियोजना, खड़िया, जनपद-सोनभद्र को वार्फ वॉल निर्माण एवं ओवर बर्डन डम्पिंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाने की संस्तुति की जाती है :-


- उद्योग द्वारा माईनिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ओवर बर्डन की डम्पिंग का कार्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाये तथा डम्प ओवर बर्डन पर समुचित प्रदूषणरोधी किरणों के वृक्षों का रोपण कराया जाये।

(Handwritten signature)


क्रमशः 3/-पर....

(4)

- उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जारी सहमति (जल) आदेश एवं सहमति (वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्या ससमय राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वॉल के निर्माण प्रक्रिया के दौरान डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर स्पिंकलिंग की समुचित व्यवस्था स्थापित किया जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वॉल के निर्माण के उपरान्त डम्प ओबीओ से वर्षा ऋतु में उत्पन्न स्टॉर्म वाटर को ड्रेन के माध्यम से एकत्रित किया जाये तथा पुनः प्रयोग में लाया जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वॉल का निर्माण कार्य कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अनुसार किया जाये।


25/01/2021

(यूकेओ गुप्ता)
अवर अभियन्ता
उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र


(प्रकाश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी
ओबरा



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H 59431/C-2/Air-16/सोनभद्र/2021
Ref. No

दिनांक 25-2-2021
Date

सेवा में,

मैसर्स नार्दन कोलफील्ड लि०
खड़िया परियोजना,
खड़िया
सोनभद्र।

'पंजीकृत'

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 113/2020 रमेश चन्द्र वर्मा एण्ड अदर्स बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 के अनुपालन में संयुक्त समिति की निरीक्षण दिनांक 23.01.2021 की आख्या में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 113/2020 रमेश चन्द्र वर्मा एण्ड अदर्स बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला प्रशासन, सोनभद्र की संयुक्त समिति द्वारा आपकी इकाई का निरीक्षण दिनांक 23.01.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में आपके उद्योग के सम्बंध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां निम्नवत है -

- उद्योग द्वारा माईनिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ओवर बर्डन की डम्पिंग का कार्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाये तथा डम्प ओवर बर्डन पर समुचित प्रदूषणरोधी प्रजाति के वृक्षों का रोपण कराया जाये।
- उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जारी सहमति (जल) आदेश एवं सहमति (वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये तथा अनुपालन आख्या ससमय राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वाल के निर्माण प्रक्रिया के दौरान डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर सिंक्रलिंग की समुचित व्यवस्था स्थापित किया जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वाल के निर्माण के उपरान्त डम्प ओ०बी० से वर्षा ऋतु में जनित स्टार्म वाटर को ड्रेन के माध्यम से एकत्रित किया जाये तथा पुनः प्रयोग में लाया जाये।
- उद्योग द्वारा वार्फ वॉल का निर्माण कार्य कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार किया जाये।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि संयुक्त समिति द्वारा की गयी उपरोक्त संस्तुतियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड को 15 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिये उद्योग स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2

प्रतिलिपि-1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

AMBIENT AIR QUALITY DATA


Name of the Company : Northern Coalfield Limited Year : 2020-21.

Name of the Project: Khadia Opencast Project Q.E.: SEPT'2020.

Core Zone


3. Station Code/Name: KHA3 - CGM Office, Category: Residential.

Dates of sampling	PM 10	PM 2.5	SO ₂	NO _x
16/17.07.2020	82	39	30	10
29/30.07.2020	64	43	35	15
12/13.08.2020	113	31	26	11
27/28.08.2020	49	42	32	17
11/12.09.2020	106	27	36	27
25/26.09.2020	83	17	38	22
Quarterly Average	83	33	33	17
Permissible Limits	100	60	80	80



4. Station Code/Name: KHA4 – Khadia STP, Category: Residential.

Dates of sampling	PM 10	PM 2.5	SO ₂	NO _x
16/17.07.2020	83	31	34	14
29/30.07.2020	49	26	37	12
12/13.08.2020	52	28	33	10
27/28.08.2020	39	32	25	15
11/12.09.2020	76	25	30	21
25/26.09.2020	100	28	33	24
Quarterly Average	67	28	32	16
Permissible Limits	100	60	80	80



Note: NA*- Standards for coal mines inserted in Environment (Protection) Rules, 1986 via Rule 2(1) of the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000 notified vide notification G.S.R. 742(E), dated 5.9.2000. do not stipulate permissible limit for PM 2.5.

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

खड़िया परियोजना

(मिनिरत्न कंपनी)

(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुपंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
Khadia Project

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of the General Manager



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

थाना-शक्तिनगर, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०) पिन-231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonebhadra (U.P.) Pin- 231222

Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: egm.khd@gmail.com, website : www.nclcil.in

No. KHD/GM/M/Env./20-21/2583

Date:- 03/10/2020

To,
Chairman
Oversight Committee,
Hon'ble NGT


Subject:- Steps being taken for reduction of coal transportation of Khadia Project through road mode.

Dear Sir,

With regard to coal transportation through road mode, a stay order has been issued vide order dated 22.04.2019 by Hon'ble Supreme Court stating "Status quo, as of today, shall be maintained, in the meantime" (Copy enclosed). Further, vide order dated 01.07.2019, it was clarified that "Status quo order passed by this court on 22.04.2019 is clarified to mean that transportation by road will continue in the meanwhile" (Copy enclosed).

Further in order to reduce the coal transportation through road mode by Khadia Project of NCL, it is to state that Khadia Project of NCL has already installed two nos. of Coal handling Plants having capacity of 04 million tonne per annum and 06 million tonne per annum through which coal is being dispatched through Merry-Go-Round (MGR) System. For further increase in the dispatch capacity of Khadia Project through rail mode, a wharf wall (railway siding) of 04 million tonne per annum capacity is proposed and Letter of Award for the same has already been issued on 26.09.2020. It is likely to be made operational by December'2021.

Yours faithfully,


General Manager
Khadia Area

Copy to:-

- (1) Regional Officer, UP Pollution Control Board, Robertsganj
- (2) General Manager, NCL Singrauli